



थाना धामपुर पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड, 07 बने अधबने शस्त्र, कारतूस व शस्त्र बनाने के उपकरण सहित एक अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा अवैध शस्त्र की बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत अपर पुलिस अधीक्षक, पूर्वी के निकट पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी धामपुर के कुशल नेतृत्व में थाना धामपुर पुलिस को आज दिनांक 07.06.2021 को थाना शेरकोट की सूचना के आधार पर एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई। जिसमें स्योहारा रोड पर काशीराम आवासीय कालोनी धामपुर से एक शातिर अपराधी करीमुद्दीन पुत्र अलीमुद्दीन निवासी ग्राम मिर्जापुर पल्ला उर्फ पल्लावाला थाना धामपुर जनपद बिजनौर को शस्त्र फैक्ट्री का संचालन करते हुये 01 अदद कार0 12 बोर एवं 02 अदद पूर्ण निर्मित तमंचे 12 बोर एवं 01 अदद अर्ध निर्मित तमंचा 315 बोर एवं 03 अदद अर्ध निर्मित तमंचे 12 बोर तथा शस्त्र बनाने के उपकरण सहित गिरफ्तार किया गया।

पुछताछ विवरण -

अभियुक्त करीमुद्दीन उपरोक्त ने पूछताछ में बताया कि मैं काफी समय से अवैध शस्त्र (तमंचा / बन्दूक) आदि का चोरी छिपे निर्माण करता हूँ। मैं बन्दूक को लगभग 5 हजार से 8 हजार रुपये तथा तमंचे को 02 हजार से 03 हजार रुपये में विक्रय करता हूँ। मैं अब तक इरशाद पुत्र शफीक निवासी मौ0 नौधा थाना शेरकोट जनपद बिजनौर व मनव्वर निवासी भनौटी थाना शेरकोट व सुहेल निवासी सादनगर आदि लोगो को बन्दूक व तमंचे बेच चुका हूँ। बरामद अवैध शस्त्रो एवं विक्रय किये गये शस्त्रो के सम्बन्ध में जानकारी हेतु विस्तृत पुछताछ की जा रही है। अभियुक्त इरशाद पुत्र शफीक नि0 मौ0 नौधना कस्बा व थाना शेरकोट जनपद बिजनौर को आज दिनांक 07.06.2021 को थाना शेरकोट पुलिस द्वारा अवैध असलाह मय जगली माघ का मीट व नेवले के बाल सहित गिरफ्तार किया गया।

नाम पता अभियुक्त -

करीमुद्दीन पुत्र अलीमुद्दीन निवासी ग्राम मिर्जापुर पल्ला उर्फ पल्लावाला थाना धामपुर जनपद बिजनौर

अपराधिक इतिहास अभियुक्त -

1. मु0अ0सं0 442/20 धारा 5/25 आर्मस एक्ट थाना धामपुर
2. मु0अ0सं0 231/21 धारा 5/25 आर्मस एक्ट थाना धामपुर

बरामदगी -

1. एक अदद कारतूस जिन्दा 12 बोर व एक पूर्ण निर्मित तमन्चा 12 बोर ,
2. एक अदद तमन्चा 12 बोर ,
3. 02 अदद लोहा नाल अर्द बनी 12 बोर ,
4. 03 तमन्चे अर्ध बने 12 बोर,
5. एक तमन्चा अर्ध बना 315 बोर ,
6. शस्त्र बनाने के उपकरण

गिरफ्तार करने वाली टीम के नाम -

1. प्रभारी निरीक्षक - श्री राजकुमार शर्मा उ0नि0 श्री अशोक कुमार कम्बोज का0 1323 सचिन शर्मा ,
2. का0 368 मनीष खोखर ,का0 1729 नीरज कुमार का0 1602 देशपाल सिंह



थाना शेरकोट पुलिस द्वारा एक अभियुक्त अवैध असलाह मय जगली माघ(नीलगाय) का मीट व नेवले के बाल सहित गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा अपराध तथा अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत अपर पुलिस अधीक्षक, पूर्वी जनपद बिजनौर व क्षेत्राधिकारी, अफजलगढ के निकट पर्यवेक्षण मे थाना शेरकोट पुलिस द्वारा दिनांक 06.06.2021 को हरेवली खौ बैराज नदी के किनारे जंगल मे शिकार करने गये अभियुक्त 1. इरशाद पुत्र शफीक नि0 मौ0 नौधना कस्बा व थाना शेरकोट बिजनौर को गिरफ्तार किया गया जिस सम्बन्ध मे थाना शेरकोट पर मु0अ0स0 – 104/21 धारा 2/51 वन्य जीव संरक्षण अधि0 1972 पंजीकृत किया गया। अभियुक्त शातिर किस्म के अद्भुतन अपराधी है।

पूछताछ का विवरण:- पूछताछ मे अभियुक्त इरशाद उपरोक्त द्वारा बताया गया है कि वह अपने अन्य दो साथियो 1. सुहैल पुत्र नूरअली नि0 ग्राम सादनगर थाना शेरकोट बिजनौर 3. सनव्वर पुत्र अख्तर नि0 ग्राम भनौटी थाना शेरकोट जनपद बिजनौर के साथ शिकार कर जगली माघ(नीलगाय) का मीट व नेवले के बाल बेचकर अपनी गुजर बसर करते है आज भी हम शिकार करने आये थे। शिकार करके वापस जा रहे थे कि आप लोगो ने मुझे पकड लिया तथा मेरे दो अन्य साथी भाग गये।

गिरफ्तार किये गये अभि0 का नांम व पता –

1. इरशाद पुत्र शफीक उम्र करीब 45 वर्ष नि0 मौ0 नौधना कस्बा व थाना शेरकोट जनपद बिजनौर।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0- 104/21 धारा 2/51 वन्य जीव सरक्षण अधि0 1972 थाना शेरकोट जिला बिजनौर
2. मु0अ0स0- 105/21 धारा 3/25 आम्स एक्ट थाना शेरकोट जिला बिजनौर

फरार अभियुक्तो का नाम पता –

1. सुहैल पुत्र नूरअली नि0 ग्राम सादनगर थाना शेरकोट जनपद बिजनौर उम्र- 20 वर्ष।
2. सनव्वर पुत्र अख्तर नि0 ग्राम भनौटी थाना शेरकोट जनपद बिजनौर उम्र- 36 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0- 104/21 धारा 2/51 वन्य जीव सरक्षण अधि0 1972 थाना शेरकोट जिला बिजनौर

बरामदगी का विवरण –

1. 50 किलो जगली माघ का मीट ।
2. काटने के औजार 02 छूरी व 01 चापड ।
3. 02 अदद देशी बन्दूक 12 बोर मय 02 खोखा कारतूस 12 बोर व 05 जिन्दा कारतूस 12 बोर ।
4. 01 मो0साईकिल एच0एफ डिलेक्स न0 यू0पी0 20 एके 8013 ।
5. 02 किलो नेवले के बाल ।

पुलिस टीम का विवरण:-

1. श्री अनुज कुमार थानाध्यक्ष शेरकोट 2. उ0नि0 श्री सुशील तोमर 3. उ0नि0 श्री सुरेन्द्र सिंह 4. का0 21 सत्यवीर सिंह 5. का0 862 सुजीत कुमार 6. का0 108 विजेन्द्र सिंह 7. का0 1642 राजकुमार थाना शेरकोट बिजनौर



थाना मण्डावर पुलिस द्वारा गौ तस्कर/गैंगस्टर एक्ट में वांछित/15,000 रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त वसीम अवैध तमंचा सहित गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि आज दिनांक 07.06.2021 को थाना मण्डावर पुलिस द्वारा थाना मण्डावर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 94/21 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित/गौ तस्कर/15,000 रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त वसीम पुत्र शरीफ निवासी ग्राम भरूका थाना मण्डावर, जनपद बिजनौर को एक अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक बिजनौर द्वारा द्वारा 15,000 रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था। अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी व गौ तस्कर है, जो काफी समय से फरार चल रहा था। अवैध शस्त्र बरामदगी के सम्बन्ध थाना मण्डावर पर अभियोग पंजीकृत किया गया है।



थाना किरतपुर

पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बिजनौर के आदेशानुसार व श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर व थाना प्रभारी के निकट पर्यावेक्षण मे पुरूस्कार घोषित/वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी के अभियान के अन्तर्गत दिनांक 06.06.2021 को थाना किरतपुर पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत निर्माणाधीन स्कूल स्टेशन रोड कस्बा किरतपुर से **अभि0 शिवम पुत्र यादराम नि0 ग्राम गजरौला अपचल थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर** उम्र करीब 19 वर्ष को एक अदद देशी तमंचा 315 बोर मय 2 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के गिरफ्तार किया गया, जिसके सम्बन्ध मे थाना हाजा पर मु0अ0सं0 162/2021 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया है।

अभियुक्त का नाम व पता:-

शिवम पुत्र यादराम नि0 ग्राम गजरौला अपचल थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर उम्र करीब 19 वर्ष।

बरामदगी:-

एक अदद देशी तमंचा 315 बोर मय 2 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

अपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 162/2021 धारा 3/25 आयुध अधिनियम

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 चन्द्रवीर सिंह का0 119 प्रमोद कुमार का0 864 पुष्पेन्द्र चहल का0 1104 सुधाकर वर्मा



थाना नजीबाबाद— आज दिनांक 7 जून 2021 को थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 281/21 धारा 435/427/ 504 आईपीसी में नामजद वांछित अभियुक्त अनंत बीर उर्फ छोटे पुत्र संजीव कुमार निवासी सिकंदरपुर बसी थाना नजीबाबाद, जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया।



थाना नजीबाबाद— आज दिनांक 7 जून 2021 को थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 234/21 धारा 379/411 आईपीसी व मुकदमा अपराध संख्या 235/ 21 धारा 3/5/8 गोवध अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम में वांछित अभियुक्त इस्लाम पुत्र अनीश निवासी मोहल्ला पठानपुरा कस्बा व थाना नजीबाबाद, जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया।



थाना नजीबाबाद— आज दिनांक 7 जून 2021 को थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 282/21 धारा 420/482 आईपीसी में नामजद अभियुक्तगण 1—गोविंद पुत्र जयपाल निवासी मोहल्ला सत्य विहार कस्बा थाना नजीबाबाद 2— सूरज पुत्र रामदेव निवासी अंबेडकर नगर थाना किरतपुर, जनपद बिजनौर को मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया गया।



थाना नजीबाबाद— आज दिनांक 7 जून 2021 को थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 277/ 21 धारा 452/323/504/506 भादवि के वांछित अभियुक्त सरफुद्दीन पुत्र शरीफ निवासी मोहल्ला हवेली तला कस्बा व थाना नजीबाबाद, जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया।



थाना कोतवाली शहर— आज दिनांक 07.06.2021 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1—सैफू पुत्र परवेज अहदम निवासी कस्बा व थाना स्यौहारा सम्बन्धित मु0अ0सं0 346/21 धारा 363/376/506 भा0द0वि0 व 3/4 पोक्सो अधि0 2—कुलदीप पुत्र किशन सिंह वाल्मिकी निवासी ग्राम भरैरा थाना कोतवाली नगर, जनपद बिजनौर सम्बन्धित मु0अ0सं0 351/2021 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम व 272 भा.द.वि. को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।



थाना शेरकोट— आज दिनांक 07.06.2021 को थाना शेरकोट पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1—सुहैल पुत्र नसीम अहमद 2—हसीन पुत्र नफीस 3—अताउल रहमान पुत्र अब्दुल हनीफ को अंतर्गत धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार किया गया।

